(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भूरा/2017/3785 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-08-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 198/अपील/2012-13

कारूलाल आत्मज श्री आल्हा डहारे
निवासी सा0कामथ नागपूर रोड मुलताई जिला बैतूल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

लखनलाल वल्द देवबा डहारे
निवासी सा0कामथ नागपूर रोड मुलताई
जिला बैतूल म0प्र0 .....अनावेदक

श्री आर0के0जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री कोमलसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा कामथ तहसील मुलताई स्थित भूमि खसरा नम्बर 40/1 रकबा 5.70 एकड़ भूमि अनावेदक के पिता देबवाजी एवं चाचा महाद के नाम दर्ज थी जिसमें अनावेदक के पिता देवबाजी अपने जीवनकाल में पैत्रक संपत्ति में से प्राप्त अपने हिस्से की भूमि 2.85 एकड़ भूमि दोनों पुत्रों लखनलाल एवं आल्हा को बटवारे में दी । जिस पर अनावेदक अपने हिस्से में काबिज है । अनावेदक के पिता देवबाजी के फौत होने के उपरांत अनावेदक द्वारा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि अनावेदक के हिस्से की भूमि वसीयत के आधार पर आवेदक के नाम दर्ज संशोधन पंजी पर संशोधन क्रमांक 43 दिनांक 4-9-2006 द्वारा दर्ज कर दी गई । उक्त संशोधन की जानकारी प्राप्त होने पर अनावेदक द्वारा संशोधन दिनांक 4-9-2006 के विरूद्ध

अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय मुलताई के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 3-8-2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17-8-2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक ने आवेदक के नाम नामान्तरित वसीयत भूमि की नामान्तरण पंजी क्रमांक 43 दिनांक 4-9-2006 की जानकारी होते हुये भी उक्त नामान्तरण पंजी के विरूद्ध समयबाधित अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाये जाने के कारण निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है।

(2) अनावेदक ने आवेदक के पक्ष में वर्णित वसीयत नामान्तरित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष एक व्यवहार वाद क्रमांक 34ए/2010 प्रस्तुत किया था, जो दि.19-7-2014 को निरस्त कर दिया गया है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वास्तविकता के विपरीत आल्हा द्वारा वसीयत करना बताया है, जबकि वास्तविकता यह है कि देवबा द्वारा दिनांक 25-4-1990 को बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि में से आधी भूमि की वसीयत आवेदक को की थी, जिसमें अनावेदक का किसी प्रकार का हित निहित नहीं है ।

(4) अनावेदक ने विवादित नामान्तरण पंजी क्रमांक 43 आदेश दिनांक 4-9-2006 की जानकारी होते हुये भी समयावधि प्रावधान के विपरीत अत्यधिक विलम्ब से तथा जानकारी दिनांक का उल्लेख किये बिना ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निरस्त की गई है परन्तु अपर आयुक्त ने उक्त आदेश का भी उचित अवलोकन न कर यह लेख करते हुये कि सुस्थापित सिद्धांत है कि समय सीमा के आवेदन पत्र पर उदारतापूर्वक विचार किया जाये इस संबंध में अनके न्याय दृष्टांत है, अपील स्वीकार की, जबकि इस संबंध में अनावेदक द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसील न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से संशोधन पंजी क्रमांक 43 आदेश दिनांक 4-9-2006 के अनुसार आवेदक का नाम दर्ज कर जो विधि के प्रावधानों के एकदम विपरीत है, जबकि वसीयतनामा के संबंध में आपत्ति आंमत्रित कर हितबद्ध व्यक्ति अनावेदक को सूचना देना था तथा वसीयतनामा की सत्यता के बारे में जॉच करना चाहिये था । वास्तव में ऐसा वसीयतनामा लिखा ही नहीं गया । वसीयतनामा के आधार पर संशोधन पंजी में नामान्तरण नहीं किया जा सकता है व प्रकरण में कोई इश्तहार ही जारी नहीं किया गया । इस प्रकार तहसीलदार ने नामान्तरण नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया था जो अनुविभागीय अधिकारी को निरस्त करना था ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी को अपील समय सीमा में मान्य कर अपील का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिये था जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को समय बाधित मानकर निरस्त करने में भूल की थी, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई थी क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी अपील का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर न कर गुणदोष के आधार पर करना चाहिये, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अपील को समय सीमा में मान्य करने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । प्रकरण को अभी गुणदोष पर देखा जाना शेष है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश 17-8-2017 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अपील को समय सीमा में मान्य कर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर